

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-119/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

नन्दलाल महतो बनाम कमला देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

नन्दलाल महतो, पिता-स्व० लखीया महतो, ग्राम-कुंकाल जारा, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

कमला देवी, पति-राजकुमार महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, थाना-सिल्ली, (राहे ओ० पी०) जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री विशेश्वर प्रसाद।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-23/08/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता कमला देवी, पति-राजकुमार महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, थाना-सिल्ली, (राहे ओ०पी०) जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
पोगड़ा	सिल्ली	47	10	740	0.13 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-102(ii) दिनांक-13/03/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम गरमु महतो वल्द मेघन महतो है।
- (2) खतियानी रैयत / पंजी-II के साथ विक्रेता का संबंध खरीद बिक्री का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम मो० पैदो कुरमीन, (महतोवाइन) है, तथा रैयत के पास कुल रकवा 5.21 एकड़ भूमि है।

- (4) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है, तथा खरीदगी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
- (5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी रैयत किस्म की है।
- (6) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा 5.08 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (7) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को पुत्री की शादी करने हेतु विक्री कर रहे है।
- (8) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी (BC-I) जाति के अन्तर्गत है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही राजस्व थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता नन्दलाल महतो, पिता-स्व० लखीया महतो, ग्राम-कुंकाल जारा, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता कमला देवी, पति-राजकुमार महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, थाना-सिल्ली, (राहे ओ०पी०) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-31/08/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता नन्दलाल महतो, पिता-स्व० लखीया महतो, ग्राम-कुंकाल जारा, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता कमला देवी, पति-राजकुमार महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, थाना-सिल्ली, (राहे ओ०पी०) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पोगड़ा	सिल्ली/47	10	740	0.13 ए०

लेखापित एवं संशोधित।


26/03/19
भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।


26/03/19
भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।